पत्रांकः–11/वि0 11–07/2020–...923

शिक्षा विभाग

बिहार, पटना।

प्रेषक,

कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 23/5/2023

विषयः– **पंचायतीराज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित कोटि के शिक्षक/शिक्षिका एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के स्थानान्तरण के संबंध में।**

प्रसंगः– विभागीय अधिसूचना संख्या–875 दिनांक–07.06.2021 एवं पत्रांक–1247, दिनांक–15.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना के तहत दिव्यांग शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका/पुस्तकालयाध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानान्तरण की सुविधा का प्रावधान है। साथ ही, पुरूष शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

अतः उक्त स्थिति में अंतर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) स्थानान्तरण की कार्रवाई नहीं किया जाना है। एक ही नियोजन इकाई अंतर्गत नियमावली में वर्णित प्रावधानों के तहत शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों का स्थानान्तरण जून माह में किया जा सकता है। प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में भी इसका निदेश दिया गया है।

विश्वासभाजन,

(कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–11/वि0 11–07/2020.....923 पटना, दिनांक–23/5/2023

प्रतिलिपि–(1) सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) सभी जिला पदधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।